न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 11/2024 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्री सेवाराम ग्राम दरा स्टेशन तहसील कनवास जिला कोटा मोबाइल न0 6367477047

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चेचट , जिला, कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 12.09..2024

1. अपीलार्थी श्री सेवाराम ग्राम दरा स्टेशन तहसील कनवास जिला कोटा मौबाइल न0 6367477047 द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत (संक्षेप में) इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 22.06.2024 (पोस्टल आर्डर कमांक 61 एफ 808586) को लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार चेचट जिला कोटा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

2. अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चेचट जिला कोटा से टिप्पणी/जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर/एडीएम/1411 दिनांक 13.08.2024., व 1425 दिनांक 23.8.2024 से पत्र लिखे गये किन्तु अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी/जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

3 अपीलार्थी को भी उसके द्वारा प्रस्तुत इस अपील में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिऐ सूचना पत्र कमांक 1412 दिनांक 13.08.2024 भिजवाया गया, किन्तु अपीलार्थी भी वास्ते सुनवाई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अतः पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति अनुसार लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार चेचट, जिला कोटा से अपीलार्थी की अपील पर आ-दिनांक तक कोई जवाब/टिप्पणी प्राप्त नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार चेचट जिला कोटा को आदेश दिये जाते है कि अपीलान्ट /प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2024 (पोस्टल आर्डर कमांक 61 एफ 808586) से सम्बन्धित वांछित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत यदि नियमानुसार देय है, तथा प्रार्थी को अब तक उपलब्ध नहीं करवाई गई हो तो अब आवश्यक रूप से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावें, अन्यथा अपीलाण्ट/आवेदक को उनके द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में उक्त समयावधि में वस्तुस्थिति से अवगत करावे। उक्त नियत समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी/आवेदक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चेचट, जिला कोटा के विरूद्ध नियमानुसार राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एंव प्रथम अपीलीय अधिकारी
कोटा, जिला कोटा